महत्वपूर्ण एवं खास

आईईडी ब्लास्ट व हत्या में शामिल स्थाई वारंटी 01 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिले मे चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 10 सितंबर 2021 को थाना बासागुड़ा एवं केरिपु 168, 241 एंव कोबरा 210 का संयुक्त बल लिंगागिरी, धरमापुर, कोरसागुड़ा, आउटपल्ली की ओर निकली थी। संयुक्त पार्टी द्वारा लिंगागिरी के जंगल से 01 नक्सली आरपीसी अध्यक्ष कोवासी भीमा पिता कोवासी कोयला उर्फ हिड़मा निवासी ग्राम आउटपल्ली थाना बासागुड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली कोवासी भीमा थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत 06 अगस्त 2016 को राजपेंटा पुलिया के पास आईईडी लगाकर पुलिस पार्टी को क्षति पहुचाने की घटना में शामिल था एवं 12 सितंबर 2019 को तर्रेम एवं सिलगेर के मध्य से ग्रामीण रमेश कुंजाम का अपहरण कर हत्या करने की घटना में शामिल था। इसके अलावा थाना बासागुड़ा में 02 स्थाई वारंट भी लंबित है। थाना बासागुड़ा में कार्यवाही उपरान्त आज न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया।

नशीला टेबलेट के साथ एक गिरफ्तार, 400 नग नशे का टेबलेट जब्त

रायपुर (आरएनएस)। नशीला टेबलेट के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 400 नग जब्त की है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शाम 6 बजे के करीब सिविललाईन थाना पुलिस ने मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति अपने घर के पास नशीला टेबलेट बेचने के फिराक में खड़ा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच दंतश्वरी चौक पंडरी बाजार के पास घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके दोनों पैकेट में 40 स्ट्रीप नशीला टेबलेट कुल 400 नग अनुमानित कीमत 2180 रुपये को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम नंदन राय पिता स्व.अमल कृष्ण राय उम्र 36 वर्ष निवासी दंतेश्वरी चौक पंडरी बाजार रायपुर बताया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 बी के तहत कार्रवाई कर की गई है।

कोरबा पूर्व प्लांट के ईई के बेटे ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

कोरबा (आरएनएस)। शहर की सीएसईबी कॉलोनी निवासी बिजली कंपनी के कोरबा पूर्व प्लांट के ईई के बेटे ने शुक्रवार को घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बिजली उत्पादन कंपनी के कोरबा पूर्व प्लांट में ईई के पद पर के एल कश्यप पदस्थ हैं, जो सीएसईबी कॉलोनी पूर्व के क्वार्टर नंबर एनसी-79 में सपरिवार निवासरत है। उनका बेटा 26 वर्षीय मयंक बैंगलुरु में इंजीनियरिंग कर रहा था, जो कुछ दिन पहले वहां से घर लौटा था। शुक्रवार को उसने घर में लोहे की सीढ़ी पर फंदा बना फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन को जब इसकी जानकारी हुई तो फंदा से उतारकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गयाए जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना पर पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच-पड़ताल कर रही है। रामपुर चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा के मुताबिक आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू.यू. ललित के सामने दन्तेवाड़ा में हुआ प्रकरण का निराकरण

» लोक अदालत भौतिक उपस्थिति एवं वर्चुअल-वीडियो कान्फ्रेंसिंग दोनों पद्धति से आयोजित की गई

रायपुर (आरएनएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में आज पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें तहसील न्यायालयों से लेकर जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर तक सिविल, आपराधिक एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बड़ी संख्या में पक्षकारगण उपस्थित हुए। लोक अदालत भौतिक उपस्थिति एवं वर्चुअल-विडियो कान्फ्रेंसिंग दोनों पद्धति से आयोजित हुई। आज नक्सल प्रभावित जिला दन्तेवाड़ा में की जा रही सुनवाई में अचानक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष यू.यू ललित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। लोक अदालत में उस समय आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति का मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित एक प्रकरण का निराकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने अवलोकन किया। यह पहला अवसर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा लोक अदालत में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़कर लोक अदालत की कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित द्वारा पक्षकारों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी की गई। हल्बी बोली बोलने वाले पक्षकारों की बातों को समझाने के लिये न्यायमूर्ति को अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मृतक बोकले नागेश की दुर्घटना में मृत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाडा के न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय में मृतक की पत्नी, मां तथा पिता के द्वारा वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी के विरूद्ध 18 जनवरी 2021 को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का मामला पेश किया गया था। विगत 2 नंवबर 2020 को प्रातः दंतेवाडा से 125 कि.मी. दूर ग्राम फन्दीगुड़ा मोड के पास ट्रक दुर्घटना में आवेदक के बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रूपये के मुआवजे में पक्षकारों के मध्य समझौता होने की प्रक्रिया विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान पूर्ण हुई। समझौते की राशि यूनाईटेड इंडिया इंश्यारेंश कम्पनी लिमिटेड के द्वारा भुगतान किया जावेगा।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा अशोक जैन, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दन्तेवाड़ा तथा सिद्धार्थ अग्रवाल, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, शहाबुद्दीन कुरैशी सीपीसी भी विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई के समय जुड़े रहे। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित के द्वारा तहसील न्यायालय केशकाल में पुनीतराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्टेऊट प्रथमश्रेणी तथा जिला न्यायालय जगदलपुर में मती निधि शर्मा तिवारी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही नेशनल लोक अदालत का विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जानकारी ली। विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय की कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के चेयरमेन न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन वास्तव के मार्गदर्शन में रजिस्ट्रार शहाबुद्दीन कुरैशी द्वारा पूरे प्रदेश भर के न्यायालयों को वीडियो कान्फेसिंग के लिंक से जोड़ने का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

हीराखंड एक्सप्रेस एलएचबी कोच के साथ पहली बार पहुंची जगदलपुर

जगदलपुर (आरएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जर्मन तकनीक से बनी नई सर्व सुविधायुक्त कोच के साथ हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जगदलपुर के लिए रवाना किया। बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक रेखचंद जैन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। ईको रेलवे के अधीन लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में हीराखंड एक्सप्रेस एलएचबी कोच के साथ विजयनगरम, रायगढ़ा होती हुई नए कंपोजिशन के साथ 11 सितंबर को पहली बार जगदलपुर पहुंची, और अपने तय समय पर रवाना हुई। इस दौरान भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता यात्रियों का स्वागत किया, भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया।

नई हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन में 12 एलएचबी कोच है, इसमें एक प्रथम श्रेणी कोच, 02 द्वितिय श्रेणी, 02 तृतिय श्रेणी, 04 स्लीपर क्लास के, सेकेंड क्लास लगेज कम डिसेबल कोच के अलावा एक जनरल मोटर कार बोगी भी है। ट्रेन में लगने वाले एचएलबी यानी कि, लिंक हॉफमेन बुश कोच जर्मनी तकनीक पर आधारित है। रेलवे ट्रैक पर कोई गतिरोध हो तो रोकने के लिए इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इस कोच में बैठने की क्षमता भी ज्यादा होती है। दुर्घटना के समय सेंटर बफर काउंसलिंग सिस्टम होने के कारण इसके डिब्बे एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते हैं। इसे लेकर बस्तर वासियों में भी काफी उत्साह है। बस्तर से बड़ी संख्या में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी इस ट्रेन से जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में जाते हैं।

नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख ठगी, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

रायगढ़। थाना पुसौर अन्तर्गत झिलंगीटार में रहने वाला माधव कुमार साव पिता भगतराम साव उम्र 24 दिनांक 10/09/2021 का थाना पुसौर में आवेदन देकर नौकरी लगाने के नाम पर रणविजय सिंह नामक शख्स द्वारा 3 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराया है।

पीड़ित माधव साव बताया कि एनटीपीसी लारा में कम्प्युटर आपरेटर के पद पर प्राईवेट जॉब कर रहा है। वर्ष 2018 में अपने ईलाज के लिये जिला अस्पताल रायगढ गया हुआ था। इसी दौरान इसकी मुलाकात रणविजय सिंह नाम के व्यक्ति से हुई जो अपने आपको सरकारी अस्पताल में रूक्र का जॉब करना बताया। रणविजय बातचीत में माधव को 3 लाख रूपये में अच्छी नौकरी लगा देना बताया और उसके घर का पता, मोबाइल नम्बर पूछ लिया । इसके बाद रणविजय सिंह, माधव को भरोसे में लेने दो-तीन बार उससे मिलने उसके घर झिलंगीटार चला गया। माधव उस पर विश्वास कर दिनांक 30.12.2019 को 01 लाख 50 हजार माधव अपने बडे पापाजी के सामने रणविजय को दिया और बांकी के 01 लाख 50 हजार अगस्त 2020 को रायगढ़ में दिया। रणविजय सिंह से माधव की बातचीत मोबाइल पर होती थी। बाद में पता चला कि रणविजय सिंह रायपुर का रहने वाला है । रुपए देने के बाद नौकरी नहीं लगता देख ठगी महसूस कर माधव द्वारा दिनांक 10/09/2021 को थाना पुसौर में आवेदन दिया गया। पुसौर पुलिस द्वारा आरोपी पर अप.क्र. 205/2021 धारा 420 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

क्वांटीफायबल डाटा आयोग 13 से 15 सितंबर तक बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे

» 13 सितंबर को कांकेर, 14 सितंबर को जगदलपुर और दंतेवाड़ा तथा 15 सितंबर को कोंडागांव के दौरे पर रहेंगे आयोग के अध्यक्ष और सचिव

» अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात

रायपुर (आरएनएस)। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा एकत्रित करने के लिए गठित क्वांटीफायबल डाटा आयोग 13 सितंबर से 15 सितंबर तक बस्तर संभाग के दौरे पर रहेगा।

आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्वांटीफायबल आयोग के अध्यक्ष और सचिव 13 सितंबर को सवेरे 10:00 बजे रायपुर से रवाना होकर 1:00 बजे कांकेर पहुंचेंगे और वहां 1:00 बजे रेस्ट हाउस में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आयोग के अध्यक्ष और सचिव अपरान्ह 3 बजे कांकेर से रवाना होकर शाम 6 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे।

अगले दिन 14 सितम्बर को आयोग के अध्यक्ष और सचिव पूर्वान्ह 11 बजे जगदलपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जगदलपुर से 3:00 बजे रवाना होकर शाम 5:00 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा के रेस्ट हाउस में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद वहां रात्रि विश्राम करेंगे।

आयोग के अध्यक्ष और सचिव 15 सितम्बर को सवेरे 10 बजे दंतेवाड़ा से रवाना होकर 1 बजे कोंडागांव पहुंचेंगे और रेस्ट हाउस में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद अपरान्ह 3 बजे वहां से रवाना होकर शाम 6.30 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

नेशनल लोक अदालत में राजस्व के 9794 प्रकरण निराकृत

रायपुर (आरएनएस)। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिले में राजस्व मामले से संबंधित कुल 9844 प्रकरणों में से 9794 प्रकरण निराकृत हुए। इन प्रकरणों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के 13 मामले,रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के 8 मामले, विक्रय पत्र/ दानपत्र/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के 476 मामले तथा शेष अन्य प्रकृति के 9305 प्रकरण निराकृत हुए।इस तरह कुल 9794 प्रकरण आज निराकृत किये गए।

राजधानी में हुई मूसलाधार बारिश, मंत्री के बंगले की दीवार ढही

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में आज हुई मुशलाधर बारिश से राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही प्रदेश के मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार भी ढह गई।।इस घटना में दीवार के पास खड़ी दो कारे दबकर छतिग्रस्त हो गई।

राजधानी में हुई मुशलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को तरबतर कर दिया। शहर के बीचो बीच स्तिथ लाल गंगा शॉपिंग मॉल इलाके में तेज बारिश की वजह से दुकानों में पानी भर गया। सिर्फ 2 घंटें की बारिश से कई इलाकों का बुरा हाल हो गया है। लाल गंगा स्थित शॉपिंग मॉल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब गया है. जिस कारण व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो गए है। मुख्यमंत्री निवास से महज 1 किमी दूर जलविहार कॉलोनी के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस गया है। कई जगहों पर तो सड़कों पर करीब3 फीट तक भरा पानी भर गया है।

गैस एजेंसी मैनेजर से 1लाख 82 हजार लूट मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। खम्हारडीह थाना इलाके के ऐश्वर्या विंडमिल क्षेत्र के पास हुए लूटकांड में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित वारदात को अंजाम दिए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूरी वारदात का मास्टरमाइंड 21 वर्षीय रोमी रेबलो है, जो गैस एजेंसी के मालिक के यहां पूर्व में काम कर चुका है। रोमी को आफिस से लेकर घर तक की जानकारी थी।

वह पेशे से इलेक्ट्रिकल व साफ्टवेयर तकनीशियन है, जिसने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए यह साजिश रची और अपने दोस्तों को पैसे का लालच दिखाते हुए इस षड्यंत्र में शामिल किया। रोमी ने अपने अन्य तीन साथियों संजय सोनी, राकेश सोनी व अरविंद प्रसाद गुप्ता को घटना स्थल की रेकी करवा मैनेजर द्वारा उक्त रास्ते से पैसे लेकर जाने की बात कहते हुए बिना चोट पहुंचाए पैसे लूटने के लिए कहा।

अपराध को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने करीब 3 घंटे से उस इलाके में रेकी कर रहे थे। गैस एजेंसी के मैनेजर को देखते ही संजय, राकेश और अभय बाइक में सवार होकर मैनेजर से बैग छीनकर फरार हो गए थे। शहर में लूट की घटना आग के तरह फैलते ही आरोपी सीसीटीवी से बचते हुए मोवा इलाके की ओर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने मुखबिर के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें धर धबोचा।

पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड रोमी ने बताया कि उसकी नौकरी वर्ष 2020 में अमेन, हैदराबाद में थी। लाकडाउन होने के कारण वह वापस रायपुर आ गया था। अब स्थिति ठीक होने के बाद उसे वापस हैदराबाद जाकर नौकरी पुनः प्रारंभ करनी थी, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हैदराबाद जाने के लिए उसने अपने दोस्तों को शामिल कर लूट की इस घटना को अंजाम दिया।

प्रदेश में पहली बार घरेलू हिंसा के मामले प्री-लीटिगेशन के तहत राजीनामा से हुए निराकृत

रायपुर(आरएनएस)। जिला रायपुर प्रदेश का पहला जिला बना जहॉ घरेलू हिंसा के मामले न्यायालय में दाखिल होने से पहले ही पति पत्नी की आपसी सहमति से प्री-लीटिगेशन के माध्यम से निराकृत हो गये। विदित हो कि घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसी भी महिला को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पडता था, तब उसका मामला न्यायालय तक पहुच पाता था। परन्तु लोक अदालत के माध्यम से अब किसी भी महिला को लंबी प्रक्रिया से गुजरना नही होगा और उन्हे त्वरित न्याय प्राप्त हो जावेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, महिला एवं बाल विकास तथा सखी वन स्टाप सेन्टर के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो सका और 11 परिवार को जो बिखरने की कगार पर थे, वे परिवार न्यायाधीश श्री मनोज कुमार प्रजापति सभापति स्थाई लोक अदालत के प्रयास से एक हो गये।

सभी परिवार में हिंसा के प्रमुख कारण अविष्वास या केवल आपसी मनमुटाव मात्र था। न्यायाधीश ने सभी दम्पत्ति को समझाया कि नर का अस्तित्व नारी के बिना अपूर्ण है और हमर अंगना तभी खुशहाल रह सकता है जब अंगना से हिंसा बाहर हो जायें। न्यायाधीश के समझाने पर 11 परिवार एक हो गये और हिंसा का रास्ता छोड प्रेम के रास्ते पर चलने का वचन देकर राजीखुशी घर साथ-साथ गये।

पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिला के थाना भानुप्रतापपुर अंर्तगत ग्राम भूरसातरहुल में पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए हत्या का आरोपी रामसाय गावड़े पिता सुखराम गावड़े अपनी पत्नी श्रीमती चमरोतिन गावड़े की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हो गया था। जिसे संबलपुर से दमकसा जाने वाली मेन रोड तरहूल चौक पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग कुल्हाड़ी एवं मोटर साइकिल जप्त कर हत्या के आरोपी रामसाय गावड़े को आज न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रमांक 189/2021 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, जांच के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की आरोपी भूरासातरहुल के आसपास देखा गया है, सूचना तस्दीक पर टीम द्वारा मौके पर जाकर संबलपुर से दमकसा जाने वाली मेन रोड तरहूल चौक पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में हत्या का आरोपी रामसाय गावड़े ने अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी का मेमोरेंडम कथन लिया गया। 22 अगस्त 2021 राखी के दिन अपनी पत्नी श्रीमती चमरोतिन बाई गावड़े के चरित्र पर शंका करते हुए अपनी पत्नी चरमोतिन बाई के सिर में घर में रखें कुल्हाड़ी से प्राण घातक वार कर हत्या करने के बाद हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को घर के बाड़ी में फेंककर मोटर साइकिल सीजी-05 इ-0887 से फरार हो गया था।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480